

२  $\frac{2}{24}$

वकील वादीगण उपस्थित नहीं। वादीगण  
स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिती का वह  
कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार  
जायाज लागवाये गये। अतः यह दावा फलान  
पैरवी अदालत हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली निजीप में शुमार की जाकर  
नम्बर से कम हो तथा वरतीव तकमिल होकर  
दाखिल दफ्तार हो।